

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

खाद्यान्न पर्ची हेतु झोन कार्यालयों पर लये जा रहे हैं आवेदन  
पात्रता पर्ची हेतु 1704 नागरिकों ने जमा कराये आवेदन  
पात्र परिवारो के सत्यापन हेतु राशन- मत्र पोर्टल पर कार्य प्रारंभ  
पात्रता पर्ची हेतु जांच उपरान्त 212 हितग्राही हुए पात्र

रतलाम 17 मई। शासन निर्देशानुसार को वड-19 के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अव ध में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची वहीन छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु 14 मई को नागरिकों ने निगम के झोन क्रमांक 1 पर 70ए झोन क्रमांक 2 पर 13ए झोन क्रमांक 3 पर 80 व झोन क्रमांक 4 पर 90ए 15 मई को झोन क्रमांक 1 पर 126ए झोन क्रमांक 2 पर 188ए झोन क्रमांक 3 पर 350 व झोन क्रमांक 4 पर 235ए 17 मई को झोन क्रमांक 1 पर 121ए झोन क्रमांक 2 पर 131ए झोन क्रमांक 3 पर 150 व झोन क्रमांक 4 पर 150 इस तरह कुल 1704 आवेदन जमा कराये। प्राप्त आवेदनों के पात्र परिवारों के सत्यापन की कार्यवाही राशन- मत्र पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है जिसके तहत जांच उपरान्त 212 हितग्राही अस्थायी पात्रता पर्ची हेतु पात्र पाये गये हैं। अस्थायी पात्रता पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन कार्यालयों पर प्रातः 8:00 बजे से आवेदन व आवश्यक दस्तावेज लये जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क एनएफएसए 2013 अन्तर्गत 24 श्रेणी के परिवारों को पात्रता श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। को वड-19 के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अव ध में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची वहीन छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्प्यूनिटी हॉलए झोन क्रमांक 2 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान भवन व झोन क्रमांक 4 हरमाला सम्पवेल भवन पर प्रातः 8:00 बजे से नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आवेदन

लये जायेंगे। हितग्राहियों हेतु आवेदन की व्यवस्था झोन कार्यालयों पर की गई है हितग्राही को वड-19 की गाईड लाईन का पालन कर व मास्क लगाकर को अपने साथ समग्र आई.डी.ए आधार कार्ड व 24 श्रेणियों में से कसी भी एक श्रेणी के दस्तावेज की छाया प्रति साथ में लावें।

खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची के लये 24 श्रेणी क्रमशः समस्त बीपीएल परिवार व ना धकार प'धारी समस्त भूमहीन कोटवार ए मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचत जाति के परिवार ए मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचत जनजाति के परिवार ए वर्ष 2013.14 में प्राकृतिक आपदा में प्रभावत परिवार जिनकी फसलों से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक होए समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमक हैं एव उन पर आश्रत परिवारों के सदस्य ए बंद पडी मलों में नियोजित पूर्व श्रमक ए बीडी श्रमक कल्याण निधी अधिनियम 1972 के परिचय पत्र धारी बीडी श्रमक ए ग्रामण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत भूमहीन ए खेतीहर पंजीकृत मजदूर एवं आश्रत परिवार के सदस्य ए साइकल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साइकल रिक्शा/हाथ ठेला चालक एवं आश्रत परिवारों के सदस्य ए घरेलू कामकाजी महिलाएँ ए फेरीवाले स्ट्रीट वेण्डर ए नगरीय निकायों के पंजीकृत केश शल्पी ए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं आश्रत परिवारों के सदस्य ए अनाथ आश्रम निराश्रत/वकलांग छात्रावासों में निवासरत् बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवारत् वृद्धजन ए पंजीकृत बहु वकलांग एवं मंदबुद्धी व्यक्ति ए रेलवे में पंजीकृत कुली ए मंडयो में अनुज्ञापतिधारी हम्माल एवं तुलावटी ए कुटीर एवं ग्रामोधोग वभाग अन्तर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शल्पी ए एचआईव्ही (एड्स) संक्रमत व्यक्ति (जो स्वेच्छा से लाभ लेना चाहते हो) ए मत्सय पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों में पंजीकृत परिवार/ सदस्य ए पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक व वमुक्त घुम्मकड़ एवं

अर्धघुम्मकड़ जातियों के परिवार जो पूर्व से अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों से छूटे हुए हैं।

निगम कर्मचारी कोरोना का दुसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 17 मई। नगर निगम में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को फ्रन्टलाईन वर्कर्स की श्रेणी में लया जाकर प्राथमिकता के साथ कोरोना का टीका लगाया जा रहा है जिसके तहत निगम के ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्होंने कोरोना का पहला डोज तो लगवा लया है कन्तु तय समय-सीमा के बाद भी दुसरा डोज नहीं लगवाया है वे 18 मई को अनिवार्य रूप से कोरोना का दुसरा डोज लगवाकर अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा करें।

नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु कोरोना का दुसरा डोज लगाये जाने के लये 18 मई मंगलवार को आई.एम.ए. हॉल राजेन्द्र नगर एं ऑफिस क्लब डी.आर.एम. ऑफिस दो बत्तीए लॉयन्स हॉल पावर हाउस रोड व पुराने कलेक्टोरेट परिसर मे वेक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है।

दो दुकानदारों पर 2000.2000 का जुर्माना

रतलाम 17 मई। कोरोना वायरस (कोवड-19) के संक्रमण पर रोक लगाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा बैठक में दिये निर्देशों के वपरित तय समय सीमा के बाद भी दुकान खोलने पर दो दुकानदारों पर 2000.2000 रुपये का स्पॉट फाईन कया गया।

जावरा फाटक रोड क्षेत्र में आशीर्वाद मे डकल स्टोर व एक दुध डेरी द्वारा तय सीमा के बाद भी दुकान खुली रखने पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों का 2000.2000 रुपये का जुर्माना कर दुकानों को बंद करवाया।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में कया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 17 मई। को वड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये व भन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से 93 कन्टेनमेंट क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी में 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है ताक को वड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सके।

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडसन कट का वतरण

112 मरीजों को कया मेडसन कट का वतरण

मरीज के परिजनों को 194 मेडकल कट का वतरण

रतलाम 17 मई। को वड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजों को मेडसन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजों के घर जाकर मेडकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 16 व 17 मई को होम आईसोलेशन के मरीजों की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 134 मेडसन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई व कन्ट्रोल रूम से 1 मेडसन कट। अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलों वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलों द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजों के घर-घर जाकर मेडकल कट का वतरण किया गया जिसके तहत सूची अनुसार 112 मरीजों को मेडकल कट का वतरण घर पर किया गया। 8 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गया 3 मरीज नगरीय सीमा

क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 6 मरीजों को पूर्व से ही मेडसन कट प्राप्त होना पाया गया तथा 5 मरीजों के कान्टैक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये। इसके अलावा 194 मेडसन कट मरीजों के परिजनों को प्रदान की गई।

नगरीय क्षेत्र में 93 कन्टेनमेंट झोन बनाये

रतलाम 17 मई को वड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण फैल रहे हैं उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट झोन बनाया जा रहा है जिसके तहत अब तक 93 कन्टेनमेंट झोन बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 11ए 12ए 13ए 14ए 15ए 16 व 17 मई को टाटा नगर में 2ए तेजा नगर में 2ए ओझाखालीए प्रताप नगरए प्रताप नगर एक्स्टेंशनए प्रताप नगर एक्स्टेंशन में मकान नम्बर 5ए 19 व 30ए ऑफिसर्स कॉलोनीए बालाजी नगरए थावरिया बाजारए वकील कालोनीए ब्राम्हणों का वासए वेदव्यास कालोनी में 4ए गुलमोहर कॉलोनीए देवरादेव नारायण नगरए जवाहर नगरए डोंगरे नगरए मोहन नगरए अलकापुरी अम्बे चौक के पासए आदर्श नगर गली नम्बर 3ए सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पासए कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग पर 2ए दीनदयाल नगर मुख्य मार्गए दीनदयाल नगर मकान नम्बर 38 व 196ए दीनदयाल नगर राधा-कृष्ण स्कूल के पासए शास्त्री नगर में 2ए राजपूत बोर्डिंग के पास 2ए महेश नगरए सन सटी कॉलोनीए दीनदयाल नगर सी सेक्टर में 1 व जी सेक्टर में 2ए धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 में 1 व गली नम्बर 5 में 2ए सलावटो का वासए कस्तुरबा नगर पीण्डटी कोलोनीए अम्बिका नगरए राजीव नगरए सुयोग परिसरए थावरिया बाजारए वेदव्यास कालोनी अ भलाषा अपार्टमेन्टए खटीक मोहल्लाए दीनदयाल नगर डी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4ए नेमीनाथ नगरए गौशाला रोडए सुतारो का वासए जवाहर नगरए जनता नगरए अलकापुरीए भोयरा

बावड़ीए ताहेरपुराए अलकापुरी मुख्य मार्गए कस्तुरबा नगर सांवरिया स्वीट् के पासए जवाहर नगरए बाणेश्वरी कॉलोनीए नेमीनाथ नगरए दीनदयाल नगर बी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4 आदर्श गुरु कल्याण नगरए रिद्धी-सद्धी कालोनीए सद्धांचलम एक्सटेंशनए महेश नगरए इन्द्रा नगरए सैनिक कालोनीए टाटा नगर गली नम्बर 1 व 8ए सलावटो का वास अन्न क्षेत्रए करमदी रोडए सुदामा परिसरए अजंता पेलेसए राजस्व कालोनीए खटीक मोहल्ला व हाथीखाना में कन्टेनमेंट झोन बनाये गये है इस तरह 7 दिवस में 93 कन्टेनमेंट झोन रतलाम नगरीय क्षेत्र में बनाये गये हैं।

‘ ‘ कल कोरोना-3<sup>७</sup> अ भयान के तहत 8 स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन

रतलाम 17 मई। शासन निर्देशानुसार को वड-19 के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए ७ कल कोरोना-3<sup>७</sup> अ भयान के तहत रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में 8 स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन कया गया है जिसमें नगर निगम अधिकारी/कर्मचारीए मे डकल ऑफसरए आंगनवाड़ी सुपरवाइजरए स्टॉफ नर्सए एएनएमए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है।

७ कल कोरोना-3<sup>७</sup> अ भयान के तहत वार्ड क्रमांक 33ए 34ए 35ए 36 व 31 हेतु टीआईटी रोड डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 30ए 31 व 32 हेतु जावरा रोड प्राथमिक स्कूल डी मार्ट रोडए वार्ड क्रमांक 27ए 28 व 29 हेतु दिलीप नगर डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 20ए 21ए 22ए 23ए 24ए 25ए 44 व 45 हेतु मोती नगर प्राथमिक स्कूलए वार्ड क्रमांक 26ए 37ए 38ए 39ए 40ए 41ए 42 व 43 हेतु हा कम वाड़ा डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 15ए 16ए 17ए 18ए 19ए 46ए 47ए 48 व 49 हेतु सुभाष नगर कम्युनिटी हॉलए वार्ड क्रमांक 1ए 2ए 3ए 4ए 5ए 6ए 7 व 8 अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेश नगर व वार्ड क्रमांक 9ए 10ए 11ए 12ए 13 व 14 हेतु रेडक्रास भवन बिरियाखेड़ी मेन रोड पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन कया गया है। उक्त केन्द्रो पर नियुक्त नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त कया है। इसके अलावा को वड सहायता केन्द्र पर नियुक्त मे डकल

ऑ फसरए आंगनवाडी सुपरवाइजरए स्टॉफ नर्सए एएनएमए आंगनवाडी कार्यकर्ता हेतु श्री नईम मोहम्मद खान प्रभारी ए.पी.एम. मो०नं० 9685330094 व श्री लोकेश वैष्णव प्रभारी बी.ई.ई. मो० नं० 7999606919 को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

को वड सहायता केन्द्र पर शीघ्रातिशीघ्र सर्दी/खांसी/स्प् के लक्षण वाले रो गयों की प्राथमिक जांच एवं परामर्श दिया जायेगा। गले में खराश/सांस लेने में कठिनाई/बदन दर्द/ सर दर्द के साथ बुखार  $38^{\circ}\text{C}$   $100^{\circ}\text{F}$  आदि लक्षण युक्त रो गयों का लक्षण आधारित उपचार व संभावित को वड-19 रो गयों का निकटस्थ फीवर क्लीनिक पर रेफरल का कार्य किया जायेगा।

कसी भी प्रकार बुखार तथा बुखार के साथ कोई अन्य लक्षण जैसे की बुखार के साथ सर्दी-खांसी/सांस लेने में तकलीफ/ गले में खराश/ कमजोरी/ चक्कर/ दस्त/ गंध अथवा स्वाद कम होने पर नागरिक अपने नजदीकी को वड सहायता केन्द्र पर संपर्क करें।

नगर में प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाइजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से किया सेनेटाइज

रतलाम 17 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटाइज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाइजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टेक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कों/ गलियों/ भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटाइज किया जा रहा है। 16 व 17 मई को फायर लॉरी व टेक्टर ट्रॉली से मेडकल कॉलेज/ भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम/ त्रिवेणी मुक्तिधाम/ ब्राम्हणों का वास/ धानमण्डी सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाइजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडकल कॉलेज/ माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र/ कलेक्टोरेट/ ई-दक्ष

कार्यालय नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयों आदि में सेनेटाईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटाईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

मे डकल कॉलेज में ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय निरंतर जारी

रतलाम 17 मई। शासकीय मे डकल कॉलेज में उपचारत् को वड-19 के मरीजों को कसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार मालवा व महावीर ऑक्सीजन से सलेण्डर मे डकल कॉलेज में पहुंचाने का कार्य प्रतिदिन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है साथ ही इस कार्य में सतत् निगरानी भी रखी जा रही है।

नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय के अलावा मे डकल कॉलेज के सुवधाघरों की सफाई के कार्य पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है इसके अलावा प्रतिदिन मे डकल कॉलेज में सेनेटाईजेशन के कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो मे डकल कॉलेज के अंदर व बाहर सेनेटाईजेशन का कार्य संपादित कर रहे हैं।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है क वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें



अन्यथा ड्रायवरण हैल्परण वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया क दोनो पालयों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशत कया है क वे प्रतिदिन प्रमाणत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 17 मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण

करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क शहर को गंदा करने वाले नागरिकों व दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 मई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़क व गली व सार्वजनिक स्थल व नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद हैं। वार्डों में गंदगी व कचरे के ढेर व नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/17/05/2021/धन.पा.निगम व रतलाम.